तारीख हुक्म		हुक्म की तामील में जारी हुए।
12/2/24	मामला पेश हुआ। वादी उपस्थित नहीं। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी का मामला सन् तमस्सुक तक कल्ल² का है, किन्तु धारित नहीं। उपखण्ड अधिकारी ने वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 RTA 1955 का अदम पैरवी। अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। मामले की गणना निमित्त इजाज की नकल बाद अभिप्रमाणन कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।	Rahul

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
सशमी
12/02/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Singh
Date: 2024.03.29 11:49:01 IST
Reason: SelfAttested